

कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उ०प्र०।  
परिपत्रांक 36/कृषि निवेश/बी-250(टी०सी०-1)दिनांक: लखनऊ: 14 सितम्बर, 2017

- 1-समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक,  
सहकारिता उ०प्र०।
- 2-समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,  
जिला सहकारी बैंक लि०।
- 3-समस्त जिला प्रबन्धक  
पी०सी०एफ०, उ०प्र०।

**विषय-आयातित यूरिया की बिक्री पर रु० 200.00 प्रति मै०टन की विशेष छूट विषयक।**

राज्य विपणन प्रबन्धक इफको लखनऊ ने अपने पत्र सं० 2371-86 दिनांक 04.09.2017 द्वारा अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश में आयातित व ओम् इफको दानेदार नीम कोटेड यूरिया की बिक्री बढ़ाने हेतु दिनांक 01.09.2017 से 31.10.2017 की अवधि में इफको द्वारा आपूर्ति दर में रुपये 200.00 प्रति मै०टन की कमी ऑफ सीजन रिबेट के रूप में की जा रही है। तदनुसार इफको के प्रस्ताव के सापेक्ष आयातित व ओम् इफको दानेदार नीम कोटेड यूरिया की दिनांक 01.09.2017 से 31.10.2017 के मध्य आपूर्ति व फुटकर बिक्री दरे निम्नानुसार संसूचित की जाती है :-


(धनराशि रु० में)

क्र० सं०	विवरण	दर प्रति मै०टन (जी०पी० चेक/बैंक अधिकार-पत्र)	दर प्रति मै०टन (ड्राफ्ट/आर०टी० जी०एस०)
1	एक्स फैक्ट्री प्राईस	6019.05	6019.05
2	विशेष आफ सीजन छूट	200.00	200.00
3	कैश डिस्काउन्ट	0.00	36.00
4	टैक्सुबल धनराशि	5819.05	5783.05
5	सी०जी०एस०टी० 2.50%	145.48	144.58
6	एस०जी०एस०टी० 2.50%	145.48	144.58
7	समितियों को आपूर्ति दर	6110.00	6072.20
8	वितरण मार्जिन	400.00	436.00
9	वितरण मार्जिन पर सी०जी०एस० टी०	10.00	10.90
10	वितरण मार्जिन पर एस०सी०जी० एस०टी०	10.00	10.90
11	वितरण मार्जिन पर कुल जी०एस०टी०	20.00	21.80

— — — 2/ —

12	कृषकों हेतु फुटकर बिक्री दर प्रति मैटन	6530.00	6530.00
13	कृषकों हेतु फुटकर बिक्री दर प्रति बोरी 50 कि०ग्रा०	326.50	326.50


उपरोक्त आपूर्ति दरें प्रदायकर्ता इफको द्वारा आयातित व ओम् इफको दानेदार नीम कोटेड यूरिया की दिनांक 01.09.2017 से 31.10.2017 के मध्य सहकारी समितियों को आपूर्ति की जानेवाली आयातित यूरिया पर प्रभावी होगी।

  
(अजय चौहान)  
आयुक्त एवं निबन्धक  
सहकारिता, उ०प्र०  
लखनऊ।

परिपत्रांक : सी-36 / कृषि निवेश / बी-250(टी०सी०-1) दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

11. राज्य विपणन प्रबन्धक, इफको, 8, गोखलेमार्ग, लखनऊ।
12. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, पीसीएफ/यू०पी०सी०बी०, उ०प्र०।
13. समस्त मण्डलीय उप/संयुक्त आयुक्त एवं उप/संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०।
14. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, (कम्प्यूटर/वेब मास्टर) सहकारिता, उ०प्र०, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित के ईमेल पर प्रेषण हेतु।
15. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
16. प्रबन्ध निदेशक, पीसीएफ, लखनऊ।
17. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
18. समस्त मंडलायुक्त, उ०प्र०।
19. प्रमुख सचिव, कृषि/सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
20. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

  
(रामप्रकाश)  
अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(कृ०नि०)  
सहकारिता, उ०प्र०  
लखनऊ।